(120)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–बिदिशा

निगरानी-0063/2019/विदिशा/भू.रा.

1 सोनपाल सिंह पुत्र श्री विनोद पटेल माँ गायत्री बाई कुर्मी
निवासी – ग्राम नदना तहसील पिछोर जिला – शिवपुरी म.प्र.

2 रेखा बाई पुत्री श्री गायत्री बाई पत्नी विष्णु कुर्मी
निवासी– केजडाऊदा

—— आवेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 07.1.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18.1.19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 7.1.19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1 श्रीबाई पुत्री श्री कमरलाल पत्नी पत्नी रामप्रसाद कुर्मी

2 पार्वती बाई विधवा कमरलाल कुर्मी
निवासीगण – ग्राम पिपलिया हाट तहसील सिरोज जिला – विदिशा म.प्र.

—— अनावेदकगण

07.1.19

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2007–08 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.08.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, ग्राम पिपलिया हाट तहसील सिरोज जिला बिदिशा में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 334 रकवा 4.224 है0 भूमि के भूमि स्वामी कमरलाल पुत्र दलीप सिंह का स्वर्गवास होने के कारण नामान्तरण पंजी क्रमांक 2 आदेश दिनांक 08.01.1998 को ग्राम पंचायत ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 08.01.1998 के अनुसार अनावेदक का नामान्तरण आवेदकगण को सुने बिना व सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कर दिया गया। जिससे आवेदकगण के हित प्रभावित हो रहे है। ...

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-0063/2019/विविध/भू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	